प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/IDSP/दि0 नि0/7/2012–13/1301-A दिनांक: 6/09/12

विषय : नेशनल डिजीज़ कन्ट्रोल प्रोग्राम के इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपदवार, मदवार अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदया/महोदय,

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए फांट के अनुसार इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम त्रैमास की धनराशि निम्नलिखित सारिणी के अनुरूप जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है–

| SN | District Name | Balance Available at District as on 31.05.2012 | Committed Liability as on 01.04.2012 | Net Balance (Col. 3-4) | Amt approved in ROP 2012-13 | Total amount to be released for 3 Months | Net Amount being Released for 3 Months in Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7-5) |
| 1 | Agra | 783 | 0 | 783 | 882000 | 220500 | 219717 |
| 2 | Aligarh | 316574 | 0 | 316574 | 744000 | 126000 | 0 |
| 3 | Allahabad | 31164 | 0 | 31164 | 777000 | 181500 | 150336 |
| 4 | Ambedkar Nagar | 1251766 | 0 | 1251766 | 612000 | 0 | 0 |
| 5 | Auraiya | 31637 | 10000 | 21637 | 753000 | 175500 | 153863 |
| 6 | Azamgarh | 76020 | 0 | 76020 | 834000 | 208500 | 132480 |
| 7 | Badaun | 37555 | 0 | 37555 | 894000 | 223500 | 185945 |
| 8 | Baghpat | 582818 | 0 | 582818 | 612000 | 0 | 0 |
| 9 | Bahraich | 82599 | 0 | 82599 | 870000 | 217500 | 134901 |
| 10 | Ballia | 966851 | 0 | 966851 | 693000 | 100500 | 0 |
| 11 | Balrampur | 22622 | 0 | 22622 | 663000 | 85500 | 62878 |
| 12 | Banda | 4342 | 0 | 4342 | 693000 | 100500 | 96158 |
| 13 | Barabanki | 458933 | 381000 | 77933 | 894000 | 223500 | 145567 |
| 14 | Bareilly | 239289 | 76000 | 163289 | 831000 | 195000 | 31711 |
| 15 | Basti | 82971 | 0 | 82971 | 852000 | 213000 | 130029 |
| 16 | St Ravidas Nagar | 16111 | 0 | 16111 | 744000 | 126000 | 109889 |
| 17 | Bijnor | 26597 | 0 | 26597 | 789000 | 184500 | 157903 |
| 18 | Bulandshahar | 26122 | 154000 | -127878 | 744000 | 126000 | 253878 |
| 19 | Chandauli | 4757 | 81000 | -76243 | 744000 | 126000 | 202243 |
| 20 | C S M Nagar | 0 | 0 | 0 | 962000 | 0 | 0 |
| 21 | Chitrakoot | 7382 | 0 | 7382 | 693000 | 100500 | 93118 |
| 22 | Deoria | 71855 | 0 | 71855 | 765000 | 178500 | 106645 |
| 23 | Etah | 70112 | 0 | 70112 | 663000 | 85500 | 15388 |
| 24 | Etawah | 27088 | 0 | 27088 | 765000 | 111000 | 83912 |

--- 2

| SN | District Name | Balance Available at District as on 31.05.2012 | Committed Liability as on 01.04.2012 | Net Balance (Col. 3-4) | Amt approved in ROP 2012-13 | Total amount to be released for 3 Months | Net Amount being Released for 3 Months in Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Faizabad | 53113 | 11000 | 42113 | 693000 | 100500 | 58387 |
| 26 | Farrukhabad | 42731 | 109000 | -66269 | 744000 | 126000 | 192269 |
| 27 | Fatehpur | 316123 | 0 | 316123 | 693000 | 100500 | 0 |
| 28 | Ferozabad | 43367 | 0 | 43367 | 744000 | 126000 | 82633 |
| 29 | GB Nagar | 15270 | 0 | 15270 | 744000 | 126000 | 110730 |
| 30 | Ghaziabad | 124335 | 0 | 124335 | 840000 | 410000 | 285665 |
| 31 | Ghazipur | 5731 | 246000 | -240269 | 663000 | 85500 | 325769 |
| 32 | Gonda | 39924 | 0 | 39924 | 810000 | 202500 | 162576 |
| 33 | Gorakhpur | 25569 | 94000 | -68431 | 1008000 | 252000 | 320431 |
| 34 | Hamirpur | 56183 | 0 | 56183 | 960000 | 240000 | 183817 |
| 35 | Hardoi | 72831 | 0 | 72831 | 894000 | 223500 | 150669 |
| 36 | Mahamaya Nagar | 76455 | 0 | 76455 | 801000 | 180000 | 103545 |
| 37 | Jalaun | 33553 | 0 | 33553 | 840000 | 210000 | 176447 |
| 38 | Jaunpur | 391563 | 0 | 391563 | 612000 | 0 | 0 |
| 39 | Jhansi | 20239 | 0 | 20239 | 924000 | 231000 | 210761 |
| 40 | JP Nagar | 436 | 0 | 436 | 984000 | 246000 | 245564 |
| 41 | Kannauj | 129217 | 0 | 129217 | 813000 | 190500 | 61283 |
| 42 | Kanpur (Dehat) | 10419 | 0 | 10419 | 744000 | 126000 | 115581 |
| 43 | Kanpur (Nagar) | 78309 | 102000 | -23691 | 954000 | 238500 | 262191 |
| 44 | Kanshi Ram Ngr | 9546 | 9000 | 546 | 1013000 | 435500 | 434954 |
| 45 | Kaushambi | 2050 | 0 | 2050 | 822000 | 205500 | 203450 |
| 46 | Kushinagar | 2677 | 0 | 2677 | 879000 | 207000 | 204323 |
| 47 | Lakhimpur Khiri | 82173 | 0 | 82173 | 744000 | 126000 | 43827 |
| 48 | Lalitpur | 92380 | 0 | 92380 | 744000 | 126000 | 33620 |
| 49 | Lucknow | 21703 | 0 | 21703 | 975000 | 276000 | 254297 |
| 50 | Maharajganj | 2718 | 0 | 2718 | 735000 | 163500 | 160782 |
| 51 | Mahoba | 51629 | 0 | 51629 | 864000 | 216000 | 164371 |
| 52 | Mainpuri | 22355 | 0 | 22355 | 693000 | 100500 | 78145 |
| 53 | Mathura | 81701 | 0 | 81701 | 693000 | 100500 | 18799 |
| 54 | Mau | 28197 | 0 | 28197 | 813000 | 190500 | 162303 |
| 55 | Meerut | 78205 | 0 | 78205 | 1050000 | 262500 | 184295 |
| 56 | Mirzapur | 76597 | 0 | 76597 | 783000 | 183000 | 106403 |
| 57 | Moradabad | 50290 | 0 | 50290 | 795000 | 186000 | 135710 |
| 58 | Muzzafarnagar | 67200 | 0 | 67200 | 744000 | 126000 | 58800 |
| 59 | Pilibhit | 26772 | 154000 | -127228 | 744000 | 126000 | 253228 |
| 60 | Pratapgarh | 225935 | 0 | 225935 | 852000 | 213000 | 0 |
| 61 | Raebareilly | 129652 | 0 | 129652 | 900000 | 225000 | 95348 |
| 62 | Rampur | 55931 | 0 | 55931 | 612000 | 60000 | 4069 |
| 63 | Saharanpur | 35345 | 43000 | -7655 | 744000 | 126000 | 133655 |
| 64 | Sant Kabir Nagar | 77259 | 78000 | -741 | 810000 | 202500 | 203241 |
| 65 | Shahjahanpur | 86404 | 0 | 86404 | 777000 | 181500 | 95096 |

---- 3

| SN | District Name | Balance Available at District as on 31.05.2012 | Committed Liability as on 01.04.2012 | Net Balance (Col. 3-4) | Amt approved in ROP 2012-13 | Total amount to be released for 3 Months | Net Amount being Released for 3 Months in Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Shrawasti | 81013 | 0 | 81013 | 693000 | 100500 | 19487 |
| 67 | Siddharthanagar | 335060 | 0 | 335060 | 744000 | 126000 | 0 |
| 68 | Sitapur | 82244 | 0 | 82244 | 693000 | 100500 | 18256 |
| 69 | Sonbhadra | 98256 | 0 | 98256 | 744000 | 126000 | 27744 |
| 70 | Sultanpur | 73656 | 0 | 73656 | 744000 | 126000 | 52344 |
| 71 | Unnao | 31556 | 0 | 31556 | 813000 | 190500 | 158944 |
| 72 | Varanasi | 80532 | 0 | 80532 | 1534000 | 238500 | 157968 |
| | **TOTAL** | **8060352** | **1548000** | **6512352** | **57689000** | **11770000** | **8978338** |

2. अवमुक्त की गई धनराशि का जनपदवार, मदवार विवरण संलग्नक–1 पर दिया जा रहा है।

3. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि से सम्बन्धित भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की सूचना के साथ जनपदों में अवशेष धनराशि एवं अवशेष देनदारियों की जनपदवार कारण सहित स्पष्ट सूचना राज्य कार्यक्रम अधिकारी, इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोजेक्ट द्वारा उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही कार्यक्रम के अर्न्तगत अवशेष धनराशि की अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी। राज्य कार्यक्रम अधिकारी, इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोजेक्ट द्वारा यह भी अवगत कराया जायेगा कि 01 अप्रैल, 2012 को कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में उपलब्ध अवशेष धनराशि में से 01 अप्रैल, 2012 से 30.05.2012 के मध्य मदवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग एवं कार्यक्रम कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

**1. मानदेय**

संविदा कर्मियों के मानदेय के मद में अवमुक्त की जा रही धनराशि से मानदेय का भुगतान उन्हीं संविदा कर्मियों को किया जाएगा जिनका मूल्यांकन करने के पश्चात् वर्ष 2012–13 के लिए अनुबन्धित किया गया हो। मानदेय का भुगतान संविदा कर्मियों के वर्ष 2012–13 में अनुबन्धित होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ की तिथि से उनके द्वारा किये गये सन्तोषजनक कार्य के आधार पर किया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए संबंधित कर्मी एवं नियन्त्रक अधिकारी दोनों उत्तरदायी होंगे।

**2. आपरेशनल कास्टः–**

**अ–मोबिलिटी सपोर्ट –**

फील्ड विज़िट/आउट ब्रेक की स्थिति मे भ्रमण हेतु अधिकतम रू0 10000.00 प्रति माह प्रति जनपद मोबिलिटी के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त के सापेक्ष धनराशि का भुगतान राज्य सरकार के नियमानुसार वास्तविक व्यय के अनुरूप कर्मी की फील्ड विजिट की रिर्पोट के अवलोकन के उपरान्त नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए संबंधित कर्मी एवं नियन्त्रक अधिकारी दोनों उत्तरदायी होंगे।

**ब– कार्यालय हेतु –**

कार्यालय के उपयोगार्थ आने वाले सामग्री हेतु प्रति जनपद रूपया 5000/– प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, जिसका उपयोग आई0डी0एस0पी0 स्टाफ के मांग पत्र के आधार राज्य सरकार के नियमानुसार किया जायेगा। सामग्री की आवश्यकता, क्रय एवं उपयोग को नियन्त्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित करते हुए इसका भुगतान किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए संबंधित कर्मी एवं नियन्त्रक अधिकारी दोनों उत्तरदायी होंगे।

---4

**स–जांच नमूनों के संग्रह एवं प्रेषण हेतु –**

जनपद मे किसी भी स्थान पर रोगों के प्रसार की दशा मे आई0डी0एस0पी0 टीम द्वारा जांच नमूने संग्रहित करने तथा उन्हे उपयुक्त लैब मे प्रेषित करने मे होने वाले व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति जनपद रूपया 1000/– प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। जिसे प्रदेश सरकार के नियमानुसार ज़िला स्वास्थ्य समिति अपने बजट से वहन करेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए संबंधित कर्मी एवं नियन्त्रक अधिकारी दोनों उत्तरदायी होंगे।

**द– एनालिसिस एण्ड यूज़ ऑफ डाटा–**

**1– फार्म प्रिन्टिंग हेतुः–** फार्म प्रिन्टिंग हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति जनपद रूपया 18000/– प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

- आवश्यकतानुसार फार्म एस0 तीन कॉपियों मे छपवाकर सभी सब सेन्टर्स को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से तथा आयुष पद्धति के चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाये। सब सेन्टर की रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा आयुष पद्धति के चिकित्सको एवं चिकित्सालयों की रिपोर्ट स्वास्थ्य पर्यवेक्षक द्वारा एकत्रित कराकर प्रत्येक शनिवार को प्रभारी पी0एच0सी0 को उपलब्ध कराई जाये।
- आवश्यकतानुसार फार्म पी0 दो कापियों मे छपवाकर सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/अति0प्रा0स्वा0केन्द्र तथा चिकित्सालयों को उपलब्ध कराया जाये, यही फार्म अन्य एलोपैथिक, सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाये।
- आवश्यकतानुसार फार्म एल0 ब्लाक पी0एच0सी0 लैब, सी0एच0सी0 लैब अति0प्रा0स्वा0केन्द्र तथा ज़िला चिकित्सालयों की लैब, अन्य निजी चिकित्सालयों की लैब को उपलब्ध कराया जाये।

**य– इन्टरनेट कनेक्शन–**

प्रत्येक जनपद के इन्टरनेट कनेक्शन (ब्राडबैण्ड कनेक्शन) मे होने वाले व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकतम रू0 2500/– प्रति माह प्रति जनपद के लिये निर्धारित किया गया है। इन्टर नेट का भुगतान वास्तविक व्यय के अनुरूप उन्ही माह के लिए किया जायेगा जिसमें इन्टर नेट क्रियाशील रहा हो। भुगतान में किसी भी अनियमितता के लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

7. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत "ऑपरेशनल गाईडलाइन फॉर फाइनेन्सियल मैनजमेण्ट" प्रदेश में दिनांक 01.04.2012 से लागू की जा चुकी है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश आपको पूर्व में ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। "ऑपरेशनल गाईडलाइन फॉर फाइनेन्सियल मैनजमेण्ट" सुलभ सन्दर्भ हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।

8. कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग, **रिपोर्ट ऑफ कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इण्डिया–2011** (सी0ए0जी0 रिपोर्ट) जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है, की आपत्तियों एवं सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये।

9. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोजेक्ट द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर वर्ष 2012–13 के लिए अनुबन्धित संविदा कर्मियों की लाइन लिस्ट (संविदा कर्मी का नाम, पदनाम, कार्यस्थल का पता, शैक्षिक योग्यता एवं संविदा पर अनुबन्धित कर कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक, मोबाइल नम्बर/ई–मेल एड्रेस (यदि हो), मासिक मानदेय की धनराशि, फोटोग्राफ) ई–मेल mdupnrhm@gmail.com पर एक सप्ताह के अन्दर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा अथवा उक्त की सी0डी0 तैयार कर भेजा जाए ताकि उसे भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर अपलोड किया जा सके।

--- 5

10. इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य स्तर एवं जनपदों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवशेष धनराशि राज्य स्तर एवं जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
5/09/12
(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/IDSP/दि0 नि0/7/2012–13/1301–A(10) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य, भारत सरकार, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
11. महाप्रबंधक(MIS) को इस आशय से कि कृपया इसे NRHM web-site पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(डॉ0 अनिल कुमार मिश्र)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम